

भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2318

(दिनांक 01.08.2018 को उत्तर के लिए)

सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों की पुनर्नियुक्ति

2318. डॉ. रत्ना डे (नाग) :

श्री कमलेश पासवान :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या यह सच है कि सेवानिवृत्त अधिकारियों की पुनर्नियुक्ति से संबंधित नियमों के अनुसार इसमें एक वर्ष का विराम काल होना चाहिए;
- (ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है;
- (ग) क्या इसके कार्यान्वयन में सभी मंत्रालयों द्वारा, विशेषकर भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा रुकावट डाली जा रही है; और
- (घ) विभाग द्वारा सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों को नियुक्त करने वाली निजी क्षेत्र की कंपनियों की ऐसी नियुक्तियों को रद्द करने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह

(क) : सेवानिवृत्त अधिकारियों की पुनर्नियुक्ति के लिए एक वर्ष के विराम काल जैसा कोई प्रावधान नहीं है।

(ख) से (ग) : भाग (क) के जवाब के मद्देनज़र प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) : नियमों के अनुसार, यदि कोई पेंशनभोगी अपनी सेवानिवृत्ति से ठीक पहले समूह 'क' अधिकारी था (अखिल भारतीय सेवा से संबंधित अधिकारियों सहित) और वह अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख से एक वर्ष पूरा होने से पूर्व कोई व्यावसायिक रोजगार स्वीकार करने की इच्छा रखता है तो वह निर्धारित फार्म में आवेदन प्रस्तुत कर सरकार से इस स्वीकृति हेतु पूर्व अनुमोदन प्राप्त करेगा। नियमों में यह भी प्रावधान है कि यदि ऐसा पेंशनभोगी सरकार की पूर्व अनुमति के बिना अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख से एक वर्ष पूरा होने से पूर्व कभी भी कोई व्यावसायिक रोजगार स्वीकार करेगा, तो सरकार यह घोषणा कर सकती है कि वह ऐसी अवधि के लिए पेंशन के पूरे या ऐसे निर्दिष्ट हिस्से का हकदार नहीं होगा जो निर्दिष्ट किया जाए।